रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072025-264672
CG-DL-E-15072025-264672

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 14, 2025/आषाढ़ 23, 1947
No. 424] NEW DELHI, MONDAY, JULY 14, 2025/ASHADHA 23, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 467(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 के खंडों (ध) खंड (ध), (छ), (ज), (झ), (ट), (द) और (त),धारा 88 की उपधारा (14) के उप-खंड (v) खंड (ख), तथा धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ नियमों में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

आपत्ति या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हों, अपर सचिव (एमवीएल), ई-मेल: comments-morth@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ – (1) इन नियमों को मोटर यान (........संशोधन) नियमावली, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर ग़ान नियमावली (सीएमवीआर), 1989 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में, नियम 2 में,-

(i) खंड (य घ) में, "परिवहन।" शब्दों के स्थान पर, "परिवहन;" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (य घ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे,-

" (य इ) " बकाया प्रयोक्ता शुल्क" से तात्पर्य किसी वाहन द्वारा कानूनी रूप से देय प्रयोक्ता शुल्क है, जोकि राष्ट्रीय राजमार्ग के उस खंड के प्रयोग के लिए है जिस खंड पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण अवसंरचना द्वारा वाहन के मार्ग को विधिवत रूप से रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुसार लागू प्रयोक्ता शुल्क वसूलने में विफल रही है, चाहे इसका कारण यह भी हो कि वाहन पर वैध, कार्यात्मक फास्टैग नहीं लगा है, और इसके संबंध में एक इलेक्ट्रॉनिक नोटिस जारी किया गया हो जिसमें वाहन के मार्ग का विवरण और भुगतान किए जाने वाले संबंधित प्रयोक्ता शुल्क की जानकारी दी गई हो।"

3. उक्त नियमों में, नियम 51ख में, उपनियम (3) में,-

(i) चौथे परंतुक में, "भुगतान किया गया।" शब्दों के स्थान पर, "भुगतान किया गया:" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) चौथे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"यह भी प्रावधान है कि पंजीकरण प्राधिकारी मोटर वाहन पर लगने वाले कर (टैक्स) को जमा करने या पंजीकरण प्रमाणपत्र में स्वामित्व हस्तांतरण दर्ज करने या अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने या पंजीकरण चिह्न को बीएच श्रृंखला से नियमित पंजीकरण श्रृंखला में परिवर्तित करने के अनुरोध को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि बकाया प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है;

इसके अतिरिक्त प्रावधान है कि अधिकृत बीमाकर्ता अधिनियम की धारा 62बी के तहत बनाए गए राष्ट्रीय मोटर वाहन रजिस्टर के माध्यम से एक ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा यह पुष्टि करेगा कि अधिनियम की धारा 137 के अनुसरण में बीमा प्रमाणपत्र जारी करने से पहले बकाया प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।"

4. उक्त नियम के नियम 52 के उपनियम (2) में,-

(i) तीसरे परंतुक में, "अधिनियम।" शब्दों के स्थान पर, "अधिनियम:" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"यह भी प्रावधान है कि पंजीकरण प्राधिकारी पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन पर तब तक कार्रवाई नहीं करेगा जब तक कि बकाया प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया जाता।"

5. उक्त नियमों में, नियम 53 में, उपनियम (2) के पश्चात,-

(i) शब्द और अंक "नियम 81।" के स्थान पर शब्द और अंक "नियम 81:" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"प्रावधान है कि पंजीकरण प्राधिकारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन पर तब तक कार्रवाई नहीं करेगा जब तक कि आवेदक द्वारा बकाया प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया जाता।"

6. उक्त नियमों में, नियम 55 के उपनियम (2) में, खंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(v) फॉर्म 28 में अनापत्ति प्रमाण पत्र।"

7. उक्त नियमों के नियम 58 में,-

(i) उप-नियम (3) में, "प्रपत्र 28 के भाग-III को भरें और उस भाग को आवेदक को विधिवत् हस्ताक्षरित करके लौटाएं" शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात् "या भाग-III को भरकर पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी करें" शब्द और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपनियम (4) में, "उसके।" शब्द के स्थान पर, "उसके:" शब्द रखे जाएंगे और निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“प्रावधान है कि पंजीकरण प्राधिकारी तब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करेगा जब तक कि आवेदक द्वारा बकाया प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया जाता।”

8. उक्त नियम के नियम 62 के उपनियम (1) में,-

(i) पांचवें परंतुक में, “पंजीकरण।” शब्द के स्थान पर, “पंजीकरण:” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) पांचवें परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“यह भी प्रावधान है कि आवेदक द्वारा बकाया प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान किए जाने तक फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण या सृजन नहीं किया जाएगा।”

9. उक्त नियमों में, नियम 90 में, क्रम संख्या (6) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(7) वाहन पर कोई भी बकाया प्रयोक्ता शुल्क नहीं होगा।”

10. उक्त नियमों में, प्ररूप 28 में, भाग I-आवेदन में, क्रम संख्या 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

10क. क्या बकाया प्रयोक्ता शुल्क की कोई मांग लंबित है, यदि हां, तो ब्यौरा दें।

[फा. सं. आरटी-11028/01/2025-एमवीएल]
महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में *सा.का.नि.* 590(अ), दिनांक 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.नि. ....(अ) दिनांक __________ *द्वारा* संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2025

G.S.R. 467(E).—The following draft rules to further amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause(s) clause(s) (g), (h), (i), (k), (n) and (p) of Section 64, sub-clause (v) of clause (b) of sub-section (14) of section 88, and section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL), email: **comments-morth@gov.in**, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001.

Draft Rules:

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (………….Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,-

(i) in clause (zd), for the words "transport.", the words "transport;" shall be inserted;

(ii) after clause (zd), the following clauses shall be inserted, namely,–

"(ze) "unpaid user fee" means the user fee legally payable by a vehicle for use of a section of a National Highway, where the Electronic Toll Collection Infrastructure has duly recorded the vehicle passage but has failed to realize the applicable user fee as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, for whatsoever reason including due to the vehicle not being affixed with a valid, functional FASTag, and an electronic notice has been issued for the same intimating the details of the passage of the vehicle and the corresponding user fee to be paid."

3. In the said rules, in rule 51B, in sub-rule (3),-

(i) in the fourth proviso, for the words "paid.", the words "paid:" shall be substituted;

(ii) after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely,-

"PROVIDED also that the registering authority shall not grant the request for depositing motor vehicle tax or recording transfer of ownership in the certificate of registration or issue of no objection certificate or conversion of registration mark from BH series to regular registration series until unpaid user fee is paid;

PROVIDED further that the authorised insurer shall confirm through an online process through the National Register of Motor Vehicles maintained under section 62B of the Act, that the unpaid user fees before issuing the certificate of insurance in pursuance of section 137 of the Act.".

4. In the said rules, in rule 52, in sub-rule (2),-

(i) in the third proviso, for the words "Act.", the words "Act:" shall be substituted;

(ii) after third proviso, the following proviso shall be inserted, namely,-

"PROVIDED also that the registering authority shall not process the application for renewal of certificate of registration until unpaid user fee is paid.".

5. In the said rules, in rule 53, after sub-rule (2),-

(i) for the word and figures "rule 81.", the words and figures "rule 81:" shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be inserted, namely,-

"PROVIDED that the registering authority shall not process the application for issue of a duplicate certificate of registration until unpaid user fee is paid by the applicant.".

6. In the said rules, in rule 55, in sub-rule (2), after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely,-

"(v) No objection certificate in Form 28.".

7. In the said rules, in rule 58,-

(i) in sub-rule (3), after the words, letters and figures "fill Part-III of Form 28 and return that part to the applicant duly signed", the words and letters "or issue filled in Part-III electronically on the Portal" shall be inserted;

(ii) in sub-rule (4), for the word "thereof.", the words "thereof:" shall be substituted, and the following proviso shall be inserted, namely,-

"PROVIDED that the registering authority shall not grant the no-objection certificate until unpaid user fee is paid by the applicant.".

8. In the said rules, in rule 62, in sub-rule (1),-

(i) in the fifth proviso, for the word "registration.", the word "registration:" shall be substituted;

(ii) after fifth proviso, the following proviso shall be inserted, namely,-

"PROVIDED also that a certificate of fitness shall not be renewed or generated until unpaid user fee is paid by the applicant.".

9. In the said rules, in rule 90, after Serial Number (6), the following clause shall be inserted, namely,-

"(7) The vehicle shall not have any unpaid user fee.".

10. In the said rules, in FORM 28, in PART I-APPLICATION, after Serial Number 10 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely,-

"10A. Whether any demand of unpaid user fee is pending, if so, give details.".

[F. No. RT-11028/01/2025-MVL]

MAHMOOD AHMED, Additional Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* G.S.R. …..(E) dated the __________.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.07.15 15:30:09 +05'30'